



कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

// कार्यवाही विवरण //

दिनांक 21.04.2025 को निगम सभागार में समय प्रातः 10:30 बजे से 02.00 बजे तक आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा सुशासन तिहार-2025 अंतर्गत दिनांक 08.04.2025 से 11.04.2025 तक प्राप्त आवेदनों/शिकायतों की निराकरण की समीक्षा किया गया एवं शीघ्रता से निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची पार्श्व पृष्ठ में संलग्न है।

1. सुशासन तिहार-2025 में प्राप्त आवेदनों का निराकरण गुणवत्तापूर्वक करते हुये आवेदकों को सूचित किया जाये और निराकृत पत्र को "सुशासन तिहार-2025" ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया जाये। यदि किसी आवेदक द्वारा किये गये आवेदन का शीघ्रता से निराकरण हो गया हो तो उस आवेदक का एक विडियो क्लिप तैयार किया जाये कि सुशासन तिहार-2025 में किये गये आवेदन से उन्हें क्या लाभ मिला या उनकी समस्या का निराकरण कितने दिन में हो गया।

(कार्यवाही - सर्व जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/जनसंपर्क अधिकारी)

2. सुशासन तिहार-2025 अंतर्गत पेयजल संबंधी प्राप्त शिकायत का निराकरण प्राथमिकता से किया जाये। हैण्डपंप, पावर पंप का संधारण, नये बोरवेल्स का नियमानुसार समय-सीमा में कर लिया जावे। पाईपलाईन की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाये। पेयजल संबंधी शिकायतों का निराकरण गंभीरता से किया जाये।

(कार्यवाही - सर्व जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता/ कार्यपालन अभियंता (जलकार्य))

3. निर्माण संबंधी मांग :- सुशासन तिहार-2025 में प्राप्त आवेदन में विभिन्न प्रकार के निर्माण संबंधी होंगे जैसे- नाली, भवन, उद्यान एवं अन्य उसका प्रस्ताव तैयार कर राशि की मांग हेतु संबंधित विभाग/जिला कार्यालय/संचालनालय/शासन को पत्र भेजा जाये और सुशासन तिहार-2025 ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया जाये। मंदिर निर्माण के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है तो प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर महोदय, के माध्यम से शासन के धर्मस्व विभाग को प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही - सर्व जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता)

4. प्रकाश व्यवस्था :- शिविर में लाईट बंद होने की शिकायत हो तो उसका तत्काल संधारण करा लिया जाये। नए एलईडी लाईट की आवश्यकता हो वहां पर लाईट की व्यवस्था की जाये और जहां पर संधारण/लाईट की व्यवस्था पूर्व में कर लिया गया हो ऑनलाईन पोर्टल के शिकायत का समय-सीमा के अंदर निराकरण कर लिया जावे।

(कार्यवाही - सर्व जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता)

5. आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पेयजल का प्रस्ताव तैयार करना :- आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पेयजल का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्रता से प्रस्तुत किया जाये। जिसे शासन को भेजा जा सके।

(कार्यवाही - सर्व जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता)

6. सुशासन तिहार-2025 में प्राप्त आवेदनों को सुव्यवस्थित रखा जाना :- सुशासन तिहार-2025 में प्राप्त आवेदन मांग/शिकायत का वार्डवार सुव्यवस्थित नंबरिंग करके रखी जाये। सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदन के संबंध में पूर्व से यदि कार्यवाही प्रचलित हो तो ऐसे पत्रों के संबंध में पुनः स्मरण पत्र संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया जाये और शासन या संबंधित विभाग को प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न करते हुये आवेदक को सूचित कर दिया जाये।

(कार्यवाही - सर्व जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता/सर्व विभाग प्रमुख)

7. **रैनवॉटर हॉर्वेस्टिंग** :- रैनवॉटर हॉर्वेस्टिंग भवनों में आवश्यक है। शासन के निर्देशानुसार जिन हितग्राहियों द्वारा रैनवाटर हॉर्वेस्टिंग नहीं बनाये है उनके लिये एक आडियोक्लीप बनाकर सफाई वाहन में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से सूचना दिया जाये कि रैनवॉटर हॉर्वेस्टिंग का निर्माण 15 दिवस के अंदर कर लें। नियत समयावधि में निर्माण पूर्ण नहीं करने पर, निगम द्वारा रैनवाटर हॉर्वेस्टिंग का निर्माण कराया जायेगा और एफडीआर की राशि वापस नहीं की जायेगी। तदाशय की सूचना का ऑडियो क्लीप बनाकर मुनादी/सूचना दिया जाये।

(कार्यवाही - सर्व जोन आयुक्त/भवन निर्माण अधिकारी/कार्यपालन अभियंता /सहायक अभियंता/उप अभियंता)

8. **उद्यान का सौंदर्यीकरण** :- उद्यानों में नियमित कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। जो कर्मचारी द्वारा उद्यान में सही समय पर कर्तव्य पर उपस्थित होकर अच्छा कार्य किया जा रहा है उन्हें प्रोत्साहित किया जाये और जो नहीं कर रहे है उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिये प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही -उद्यान अधिकारी)

बैठक धन्यवाद ज्ञापित के साथ समाप्त किया गया।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क./एफ- /समीक्षा बैठक/3787
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 22/4/2025

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5/PMAY/जलकार्य/स्वास्थ्य/कम्प्युटर/विद्युत/भवन संधारण/स्टोर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
8. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
9. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
10. सर्व संबंधित/विभाग प्रमुख नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई